कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा।

पत्रांक : जि.अधि. / कोविड–19 / 2020–21 / 8283 दिनांक : 13.5.2020

– : आदेश : –

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
जनपद–अमरोहा।

शासनादेश सं0 संख्या 381 / 2020 / सीएक्स–3 गृह (गोपन) अनुभाग–3, दिनांक 3 मई 2020 के कम में कोविड–19 महामारी का संकमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जिसके रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 03.5.2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया है। गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला की दुकाने और थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए ताकि कोविड–19 महामारी का संकमण फैलने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30(2) (क) में आयुक्त खाद्य सुरक्षा को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के दृष्टगत पान मसाला के विनिर्माण, वितरण एवं विकय पर प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गुटके का विनिर्माण भण्डारण वितरण एवं विकय दिनांक 01.04.2020 से ही प्रतिबन्धित है।

गुटका / पान मसाले पर उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(2) (iv) का उल्लंघन होगा जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं ऐसे प्रतिष्ठान जो इस आदेश का उल्लंघन करते पाये जायेंगे उनका लाईसेन्स / पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम –2011 के विनमय 2.1.8(4) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने एवं प्रतिष्ठान बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

13.5.20

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

पत्रांक : जि.अधि. / कोविड–19 / 2020–21 / 8284—8296 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
4. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, अमरोहा मण्डल अमरोहा।
6. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा।
8. अपर जिलाधिकारी (नगर), अमरोहा।
9. नोडल / सह नोडल अधिकारी, (तम्बाकू) अमरोहा।
10. उत्तर प्रदेष वालेन्टरी हैल्थ एसोसिएषन, 5 / 459 विरामखंड गोमतीनगर, लखनऊ।
11. व्यापार मण्डल एसो0, अमरोहा।
12. कैमिस्ट एवं ड्रग एसो0, अमरोहा।
13. अध्यक्ष, होटल एसो0, अमरोहा।

जिलाधिकारी,
अमरोहा।